न्यायालयः— अंचल अधिकारी,गाँवा जिला—गिरिडीह

आदेश फलक

वाद का प्रकार

अभिलेख सं0— 22/19-20

आदेश का क्रम सं0 एवं तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित
12.02.2024	यह अभिलेख राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा नगवाँ थाना नं0 280 थाना गावाँ के खाता नं0 135, प्लॉट नं0—1355 रकवा—0.30 एकड भूमि मदन प्रसाद यादव के पूर्वज शुकर महतो के नाम से सादा हुकूमनामा द्वारा प्राप्त है। पंजी 2 के पृष्ठ सं0 184/1 पर शुकर महतो के नाम से जमाबंदी कायम है। लगान रसीद वर्ष 2011—12 तक निर्गत है। मौजा नगवाँ थाना नं0— 250, थाना —गावाँ के खाता नं0— 135, प्लॉट नं0—1355 रकवा 0.32 एकड भूमि बद्री महतो पिता—सॉची महतो के नाम से केवाला नं0— 501 दिनांक 27.01.2000 एवं केवाला नं0— 2929 दिनांक 29.06.2000 में प्राप्त है। पंजी 2 के पृष्ठ— 49/5 पर बद्री महतो के नाम से जमाबंदी कायम है। लगान रसीद वर्ष 2012—13 तक निर्गत है। दोनों पक्षों के द्वारा एक ही भूमि का अलग—अलग दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। जिसके कारण दानों पक्षों मे विवाद है। उक्त भूमि स्वत्व का मामला प्रतीत होता है। उभय पक्ष सक्षम न्यायालय जा सकते है। अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित Sd/- 12/02/24 अंचल अधिकारी गावाँ Sd/- 12/02/24 अंचल अधिकारी गाँवा।	

Digitally signed by AVINASH RANJAN
Date: 2024.02.13 13:01:49 +05:30
Location: 192.168.84.81

Scanned with OKEN Scanner